इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 मई 2022—वैशाख 14, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ बी-04-01-2022-2-पांच (22) भोपाल, दिनांक 4 मई 2022

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ज) "ई-स्टाम्प या इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प" से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 की उप धारा (11-क) में यथापरिभाषित ई-स्टाम्प या इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प।"।

2. नियम 25 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(2) सेवा प्रदाताओं के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात् :-

(क) वैयिक्तक;

(ख) बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं;

(ग) डाकघर;

(घ) निगम/मंडल, जिनमें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा कम-से-कम 51 प्रतिशत अंश धारित हों;

(ङ.) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी।"।

3. नियम 26 में,-

(1) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"26. स्टाम्प विक्रेता/सेवा प्रदाता के लिए अनुज्ञप्ति।"।

(2) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) स्टाम्प विक्रेता/सेवा प्रदाता के लिए अनुज्ञप्ति का प्रदाय किया जाना-

(एक) स्टाम्प विक्रेता/सेवा प्रदाता के लिए अनुज्ञप्ति के प्रदाय किए जाने के लिए कोई आवेदन शासकीय खाते में भुगतान किए गए पांच हजार रूपए मात्र के अप्रतिदेय शुल्क के साथ, अनुज्ञापन प्राधिकारी को, यथास्थिति प्ररूप क-1/क-2 में, इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिग प्रणाली (ई एस एस) के माध्यम से किया जाएगा।

(दो) अनुज्ञप्ति के प्रदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति पर तथा उप-नियम (1) तथा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आवेदन की प्राप्ति की तारीख के 15 दिवस की कालावधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी परीक्षण करेगा और अपने डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप ख में अनुज्ञप्ति जारी करेगा अथवा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आवेदन को निरस्त करेगा:

परन्तु जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी विहित समय सीमा के भीतर अनुज्ञप्ति के प्रदाय के लिए आवेदन पर विनिश्चिय नहीं करता है, तो अनुज्ञप्ति प्रदान की गई समझी जाएगी तथा ऐसी अनुज्ञप्ति इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग प्रणाली (ई एस एस) के माध्यम से प्ररूप ख में जारी की जाएगी:

परन्तु यह और कि इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग प्रणाली (ई एस एस) के माध्यम से जारी समझी गई ऐसी अनुज्ञप्ति का इन नियमों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं जारी की गई अनुज्ञप्ति के समान ही विधिक प्रभाव होगा।"

(3) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(2) स्टाम्प विक्रेता के लिए पात्रता.-

कोई आवेदक, जो-

(क) आवेदन की तारीख को 21 वर्ष से अधिक आयु का हो;

(ख) किसी शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम/स्थानीय निकाय में नियोजित नहीं हो, तथा

(ग) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या किसी मान्यताप्राप्त संस्था/मण्डल से कोई समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

(4) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(3) सेवा प्रदाता के लिए पात्रता- उप-नियम (2) में उल्लिखित अर्हताएं रखने के अतिरिक्त, कोई आवेदक, जो -

(क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (नक) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक राईटिंग पेन, वेब कैमरा, यू.पी.एस, स्कैनर एवं ऐसे कम्प्यूटर पैरीफेरल जो परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट है तथा ब्रॉडबैण्ड/हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्शन धारित करता हो;

(ख) ई-स्टाम्पों के विक्रय एवं अन्य सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए साख सीमा प्राप्त करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हो;

(ग) कम्प्यूटर के प्रचालन की जानकारी रखता हो;

(घ) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हो; तथा

(ङ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों का कामकाजी ज्ञान रखता हो,

सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने का पात्र होगा:

परंतु नियम 25 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख),(ग),(घ) एवं (ङ.) में उल्लिखित श्रेणी में सेवा प्रदाता के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की दशा में उपरोक्त अर्हताएं सुसंगत नहीं होंगी ।"।

(5) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(4) अनुज्ञप्ति की अवधि.- स्टाम्प विक्रेता तथा सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत की जाएगी।"।

(6) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(5) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.-

(एक) नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिवस पूर्व इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग प्रणाली (ई एस एस) के माध्यम से शासकीय खाते में जमा किए गए पांच हजार रूपए मात्र के अप्रतिदेय शुल्क के साथ, यथास्थिति, प्ररूप क-1/क-2 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(दो) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वतः नवीनीकृत डाउनलोड किए जाने योग्य अनुज्ञप्ति इलेक्ट्रनिक स्टाम्पिंग प्रणाली (ई एस एस) के माध्यम से प्ररूप ख में, 5 वर्ष के लिए, जारी की जाएगी।"।

4. नियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"27" अनुज्ञप्ति का निलंबन अथवा रद्दकरण.-

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, नीचे दिए गए आधारों में से किसी आधार पर किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा :-

(क) इन नियमों के किन्ही उपबंधों अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों के भंग के लिए;

(ख) पर्याप्त स्टाम्पों के संग्रहण या ई-स्टाम्प और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए पर्याप्त साख सीमा रखने में असमर्थता के लिए;

(ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक माह से अधिक की कालावधि के लिए लगातार कार्य स्थल पर उपस्थित रहने में असफल रहने के लिए;

(घ) किसी अवैध संव्यवहार या अनुचित लेनदेन में भाग लेने का दोषी होने के लिए ;

(ड.) ऐसे कार्यकलापों में संलिप्त रहने के लिए, जिससे कार्यालय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता हो ;

(च) विनिर्दिष्ट की गई राशि से अधिक राशि मांगने के लिए ;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से किसी अन्य कदाचरण के कार्य के लिए ;

(ज) अनुज्ञप्तिधारी के विकृतचित होने की दशा में ;

(झ) किसी विशिष्ट वर्ग/वर्गों की अनुज्ञप्तियों को समाप्त किए जाने का महानिरीक्षक पंजीयन को आदेश प्राप्त होने पर;

(ञ) ऐसी त्रुटिपूर्ण, असत्य, अपर्याप्त या असंगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिसके आधार पर अनुज्ञप्ति जारी की गई थी या जारी की गई समझी गई थी।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (झ) के अधीन आने वाले आधार के सिवाय किसी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का एक अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु निलंबन अथवा रद्दकरण के लिए कोई कार्यवाही अनुज्ञप्तिधारी को सूचना जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह की कालावधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) कोई अनुज्ञप्ति निलंबन आदेश जारी होने की तारीख से तीन माह से अनधिक की कालावधि के लिए निलंबित की जा सकेगी तथा ऐसी कालावधि, जो अनुज्ञप्ति निलंबित की गई थी की समाप्ति पर अनुज्ञप्ति स्वत: बहाल हो जाएगी:

परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उस कालावधि की समाप्ति के पूर्व, जिसके लिए अनुज्ञप्ति निलंबित की गई थी, निलंबन का आदेश वापस लेने और अनुज्ञप्ति के बहाल करने का आदेश जारी कर सकेगा।"।

5. नियम 28 में, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह तथा पूर्ण विराम के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परंतु ऐसा कोई भी आवेदन, उप महानिरीक्षक पंजीयन के आदेश की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा और उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित किया जाएगा।"।

6. नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"34 बट्टा एवं कमीशन.- ऐसा स्टाम्प विक्रेता को, जो स्टाम्प क्रय करता है या ऐसे सेवा प्रदाता को, जो ई-स्टाम्प के लिए साख सीमा क्रय करता है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा अधिसूचित यथास्थिति, बट्टा या कमीशन, अनुज्ञात किया जाएगा:

परंतु उक्त उपबंध 01.11.2014 से प्रभावी रहेंगे।"।

7. नियम 35 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"35 नियम 25 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) के अधीन अनुज्ञप्त सेवा प्रदाता राजस्व स्टाम्प के क्रय के लिए बट्टे को छोड़कर, उनके द्वारा किए गए स्टाम्पों के क्रय/विक्रय पर बट्टा अथवा कमीशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।"।

8. नियम 38 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग) जहां लिखत केवल इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में है, वहां सेवा प्रदाता इस उप-नियम के खण्ड (क) के अधीन ई-स्टाम्प के क्रय के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के सत्यापन के उपरांत, इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिग प्रणाली के माध्यम से ई-स्टाम्प कोड के लिए अनुरोध करेगा तथा उसके प्राप्त होने पर, उसे स्टाम्पित किए जा रहे ऐसे इलेक्ट्रानिक दस्तावेज पर क्रेता के नाम तथा पते के विवरण, वह प्रयोजन जिसके लिए ई-स्टाम्प क्रय किया गया है, स्टाम्प का मूल्य, संव्यवहार का मूल्य, यदि कोई हो, क्रय की तारीख अनुलग्न जिसके पश्चात् करेगा ऐसी लिखित अधिनियम के अधीन स्टाम्पित की गई समझी जाएगी।"।

9. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

प्ररूप -क-1

नवीन अनुज्ञप्ति /नवीनीकरण/अनुलिपि अनुज्ञप्ति हेतु
स्टाम्प विक्रेता/सेवा प्रदाता के लिए आवेदन का प्रारूप

भाग - क

अनुज्ञप्तिधारी का स्वयं के द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो

1	आवेदक का नाम	....
2	पिता का नाम	....
3	जन्म तिथि	....
4	पेन नंबर	....
5	आधार नंबर	....
6	शैक्षणिक योग्यता 1. उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा नियम 26(2)(ग) के अनुसार समकक्ष योगयता 2. स्नातक/स्नात्कोत्तर , यदि कोई हो	उत्तीर्ण करने का वर्ष ....
7	स्थान का पता जहां आवेदक कार्य करने का इच्छुक है	स्थान .... नगर/कस्बा .... तहसील .... जिला ....
8	सरल क्रमांक 7 में उल्लिखित स्थान का निकटतम उप पंजीयक कार्यालय	....
9	आवेदक का संपर्क विवरण (एक) मोबाइल नंबर (दो) ई-मेल आइडी (तीन) लेण्डलाइन फोन नंबर यदि कोई हो	 ....
10	आवेदक के निवास का पता	....
11	रकम की वह सीमा, जिसे आवेदक स्टांप /साख सीमा का क्रय करने में लगा सकता है	....

भाग - ख
स्वघोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करता हूं कि (समस्त आवेदकों के लिए लागू)

(क) आवेदन के दिनांक को 21 वर्ष से अधिक आयु का हूं।

(ख) किसी शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम/स्थानीय निकाय में नियोजित नहीं हूं, तथा

(ग) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या किंसी मान्यता प्राप्त संस्था/मण्डल से समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हूं,

2. (केवल नियम 25(2)(क) की श्रेणी के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं के लिए)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि (केवल स्टांप विक्रेता की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं)

(क) मैंसूचना प्रौद्योगिकी अधियिम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (नक) के उपबन्धों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक राईटिंग पेन, वेब कैमरा, यू.पी.एस, स्कैनर एवं ऐसे कम्प्यूटर पैरीफेरल जो परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट है तथा ब्रॉडबैण्ड/हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्शन धारित करता हूं;

(ख) मैंई-स्टाम्पों के विक्रय एवं अन्य सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए साख सीमा प्राप्त करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हूं;

(ग) मैंकम्प्यूटर के प्रचालन की जानकारी रखता हूं;

(घ) मैं हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हूं;

(ङ) मैंभारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों का कामकाजी ज्ञान रखता हूं,

2. मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है तथा मैं घोषणा करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 के प्रावधानों तथा अनुज्ञप्ति की नियम व शर्तों को भली भांति पढा है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

भाग- ग

फीस भुगतान का विवरण

(एक) राशि

(दो) तारीख

(तीन) भुगतान का मोड/संदर्भ क्रमांक

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

अनुलग्नक -

1. पहचान का प्रमाण - आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ अन्य
2. पते का प्रमाण - बिजली का बिल/पानी का बिल/भाडा चिटठी
3. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण - उच्चतर माध्यमिक अंकसूची/लागू दस्तावेज

प्ररूप -क-2

नवीन अनुज्ञप्ति /नवीनीकरण/अनुलिपि अनुज्ञप्ति हेतु स्टाम्प विक्रेता/सेवा प्रदाता के लिए आवेदन का प्रारूप

भाग - क

अनुज्ञप्तिधारी का स्वयं के द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो

1	आवेदकसंस्था का नाम	....
2	संस्था का प्रकार जैसे बैंक/वित्तीय संस्था/डाक घर/कंपनी/मंडल/निगम	....
3	संस्था के मालिक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध निदेशक का नाम एवं पता	....
4	सीआईएन/जीएसटीएन/पेन नंबर	....
5	रकम की वह सीमा, जिसे आवेदक स्टांप /साख सीमा का क्रय करने में लगा सकता है	....
6	संस्था का कार्यालयीन पता	नगर/कस्बा .... तहसील .... जिला ....
7	कार्यस्थल का निकटतम उप पंजीयक कार्यालय	....
8	आवेदक संस्था का संपर्क विवरण (एक) टेलिफोन नंबर (दो) ई-मेल आइडी	....
9	आवेदक संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का विवरण (एक) नाम (दो) पदनाम (तीन) प्राधिकार पत्र का क्रमांक व दिनांक (चार) आधार नंबर/पेन नंबर (पाँच) मोबाइल नंबर	....

भाग - ख

1. मैं घोषणा करता हूं कि

(क) हमारी संस्था ई-स्टांप के विक्रय तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए साख सीमा प्राप्त करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है।

(ख) हमारी संस्था के पास पर्याप्त स्टाफ है जो कंप्यूटर ज्ञान तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों का कामकाजी ज्ञान रखता है।

(ग) हमारी संस्था हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है तथा कंप्यूटर सिस्टम रखती है।

2. मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है तथा मैं घोषणा करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 के प्रावधानों तथा अनुज्ञप्ति की नियम व शर्तो को भली भांति पढा है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

भाग- ग

फीस भुगतान का विवरण

(एक) राशि

(दो) तारीख

(तीन) भुगतान का मोड/संदर्भ क्रमांक

स्थान .... आवेदक संस्था की ओर से

तारीख .... अधिकृत व्यक्ति के नाम तथा हस्ताक्षर

अनुलग्नक -

1. कंपनी पंजीयन प्रमाण पत्र/आवेदक का पेन कार्ड/आवेदक का जीएसटीएन प्रमाण
2. अधिकृत व्यक्ति का प्राधिकार पत्र
3. अधिकृत व्यक्ति का पहचान प्रमाण पत्र- आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/अन्य

प्ररूप -ख

अनुज्ञप्ति का प्ररूप

(मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 के अधीन स्टांपका विक्रय/जारी करने हेतु)

अनुज्ञप्तिधारी का स्वयं के द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो

1. अनुज्ञप्तिधारी का नामतथा निवास का पता	:..
2. अनुज्ञप्ति का प्रकार (स्टांप विक्रेता/सेवा प्रदाता)	:..
3. अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि	.... से .... तक
4. अनुज्ञप्ति क्रमांक	:..
5. कार्यस्थल का पता जहां अनुज्ञप्तिधारी कार्य करेगा	स्थान .... नगर/कस्बा ....

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर

नाम तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पदमुद्रा

<u>नियम तथा शर्तें</u>

1. अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जैसे कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए जाएं ।
2. शासन के समस्त शोध्यों को, अनुज्ञप्तिधारी को अधिक दी गई बट्टे की कोई रकम, इन नियमों के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना और अन्य कुल रकम, यदि कोई है, जमा से या अनुज्ञप्तिधारी की चल अथवा अचल सम्पत्ति से, भू- राजस्व की बकाया के रूप में वसूलकी जाएगी ।
3. यहअनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 के उपबंधों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कारोबार करने का हकदार बनाती है ।
4. इस अनुज्ञप्ति के अधीन स्टांप के विक्रय / जारी किया जाना केवल इस अनुज्ञप्ति के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।
5. किसी स्टांप नियम का अतिलंघन धारक को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 और मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 में विहित शास्ति का दायी बनाएगा।

6. अनुज्ञप्ति के किस भी नियम अथवा शर्तों के उल्लंघन या अनुज्ञप्ति की कोई अन्य अनियमितता, उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्द करने तथा कोई जुर्माना अधिरोपित करने का भी दायित्वाधीन बनाएगी ।

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर

नाम तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पदमुद्रा

भोपाल, दिनांक 4 मई 2022

क्रमांक एफ-बी-04-01-2022-2-पांच (22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-01-2022-2-पांच (22), दिनांक 4 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

No. B-04-01-2022-2-V (22) Bhopal, the 4th May 2022

In exercise of the powers conferred by section 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 2, for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) 'e-Stamp or electronic stamp' means an e-stamp or electronic stamp as defined in sub-section (11-A) of section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899).".

2. In rule 25, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) There shall be the following classes of service providers, namely:-

(a) Individuals;

(b) Banks and Financial Institutions;

(c) Post Offices;

(d) Corporations/Boards wherein at least 51% share is held by the Central Government or the State Government;

(e) A company registered under the Companies Act, 2013(18 of 2013).

3. In rule 26,-

(1) For the heading the following heading shall be substituted, namely:-

"26. License for Stamp Vender/Service Provider.".

(2) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Grant of License for Stamp vendor/Service Provider-

(i) An application for grant of license for a stamp vendor/service provider accompanied with a non-refundable fee of rupees Five Thousand only paid into Government account, shall be made to the Licensing Authority in Form-A-1/A-2 as the case may be, through the ESS;

(ii) On receipt of an application for grant of license, and subject to the provisions of sub-rule(2) and (3), the Licensing Authority shall examine and issue under his digital sign, license in Form B or reject the application with reasons recorded in writing, within a period of 15 days of date of receipt of the application:

Provided that where the licensing authority does not take decision on the application for grant of license within the prescribed period, the license shall be deemed to have been granted and such license shall be issued through the ESS in Form B:

Provided further that such license deemed issued through the ESS shall have the same legal

effect as license approved and issued by the Licensing Authority under these rules.".

(3) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Eligibility for Stamp Vendor.-

Any applicant, who-

(a) is over 21 years of age on the date of application;

(b) is not employed in any department of the Government/Government Under taking/local Body; and

(c) has passed the Higher Secondary School Certificate Examination of Madhya Pradesh Board of Secondary Education or an equivalent examination from a recognized Institution/Board;

shall be eligible to apply for license under these rules.

(4) For sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Eligibility for Service Provider.- In addition to, having qualifications mentioned in sub-rule (2), an applicant who –

(a) possesses an electronic signature as per provisions of sub-clause (ta) sub section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000, computer, Printer, Biometric device, Electronic writing Pen, Web Camera, UPS, Scanner and any other Computer peripherals specified in Appendix-A and broadband/high speed internet connection;

(b) is financially able to obtain credit limit for sale of e-stamps and to provide other related services;

(c) has knowledge of computer operation;

(d) is capable of providing services in both Hindi and English languages; and

(e) has working knowledge of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and the Registration Act. 1908 (No. 16 of 1908) and rules made thereunder shall be eligible to apply for license of Service Provider:

Provided that in case of applicant applying for service provider in category mentioned in clause (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (2) of rule 25, the above qualifications shall not be relevant.".

(5) For sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(4) Duration of license- License of Stamp Vendor and Service Provider shall be granted or renewed for a period of five years from date of issue of the license.".

(6) For sub-rule(5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) Renewal of license.-

(i) An application for renewal shall be submitted in Form A-1/A-2 as the case may be, at least 15 days prior to the date of expiry of a license accompanied with a non-refundable fee of Rupees five thousand only paid into Government account through the ESS.

(ii) On receipt of such application, an auto renewed downloadable license for 5 years shall be issued through the ESS in form B.".

4. For rule 27, the following rule shall be substituted, namely:-

"Suspension or cancellation of license.–

(1) The licensing authority may suspend or cancel a license on any of the grounds given below:-

(a) for breach of any provisions of these rules or of the conditions of the license;

(b) for incapability to store sufficient stamps or to keep sufficient credit limit for e-stamps and other related services;

(c) for failure to attend the place of work continuously for a period exceeding one month without the prior permission of the licensing authority;

(d) for being guilty of participating in any illegal transaction or unfair dealings;

(e) for indulging in practice which tends to encourage corruption in the office;

(f) for charging amount in excess of what has been specified;

(g) for any other act of misconduct on the part of the licensee;

(h) in case the licensee is of unsound mind;

(i) on receipt of orders from the Inspector General of Registration to discontinue a particular category/categories of licenses;

(j) for having submitted incorrect, false, insufficient or irrelevant information on the basis of which license had been issued or deemed issued.

(2) No order for cancellation of license shall be passed unless the licensee has been given an opportunity of being heard,

except in case of cancellation of license on the ground under clause (i) of sub-rule (1):

Provided that a proceeding for suspension or cancellation shall be completed within a period of three weeks from the date of issue of notice to the licensee.

(3) A license may be suspended for a period not exceeding three months from the date of issue of suspension order and the license shall automatically be restored on expiry of such period for which the license was suspended:

Provided that the licensing authority may for reasons recorded in writing, issue order to revoke order of suspension and restore license before completion of the period for which license had been suspended.".

5. In rule 28, for thefull-stop, inverted commaand the full-stop,the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that no such application shall be entertained after expiry of sixty days from the date of order of Deputy Inspector General of registration and the time requisite for obtaining copy of the said order shall be excluded.".

6. For rule 34, the following rule shall be substituted, namely:-

"**34. Discount and Commission.**- The Stamp Vendor who purchases stamps or Service Provider who purchases credit limit for e-stamps, shall be allowed discount or commission as the case may be, as notified by the State Government from time to time:

Provided that the said provision shall remain effective from 01.11.2014.".

7. For rule 35, the following rule shall be substituted, namely:-

"35 Service provider licensed under clause (b), (c), (d), (e) of sub rule (2) of rule 25 shall not be eligible for receipt of discount or commission on purchase/sale of stamps affected by them, except for the discount allowed on purchase of revenue stamps.".

8. In rule 38, in sub-rule (2), after clause (b),the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) where instruments are only in electronic form, the Service Provider shall, after receipt of application for purchase of e-stamps under clause (a) of this sub rule, after verification of the details provided by the applicant, request for an e-stamp code through the Electronic Stamping System and on receipt of the same, shall affix it on such electronic instrument being stamped, along with details of the name and address of purchaser, purpose for which e-stamp has been purchased, value of the stamp, value of transaction if any and the date of purchase following which such instrument shall be considered stamped under the Act.".

9. This amendment shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SRIVASTAVA, Dy. Secy.

Form-A-1

Application form for NewLicense/Renewal of license/ Duplicate license forStamp Vendor/ Service Provider

Part - A

Passport Size Photo Attested by Licensee himself

1. Applicant's name	:...
2. Fathers' Name	:...
3. Date of birth	:...
4. PAN Number	....
5. Aadhar Number	....
6. Educational Qualification 1. Higher secondary school certificate examination or equivalent Qualification as per rule 26(2)(c) 2. Graduation/Post Graduation, if any	Year of passing :... :... :...
7. Address of the place where the applicant desires to work -	Place...................... City/Town...................... Tahsil......................District............................
8. Office of Sub- Registrar nearest to place of Work mentioned in s.no. 7	
9. Contact Details of applicant (i) Mobile Number (ii) E-Mail ID (iii) Landline phone Number if any	:...
10. Residential address of applicant	:...
11. Extent of amount, which the applicant can invest in purchasing stamps/ credit limit	:...

Part - B

Self Declaration

1. I here by declare that (applicable for all applicants)
   a) I am over 21 years of age on the date of application;
   b) I am not employed in any department of the Government/Government Under taking/local Body; and
   c) I have passed the Higher Secondary School Certificate Examination of Madhya Pradesh Board of Secondary Education or an equivalent examination from a recognized Institution/Board."

(for service provider under category of rule 25(2)(a)only)

2. I further declare that (not applicable for persons applying for license for only Stamp vendor)
   a) I possess an electronic signature as per provisions of sub-clause (ta) of clause(1) of section 2 of the Information technology Act, 2000, (No. 21 of 2000) computer, Printer, Biometric device, Electronic writing Pen, Web Camera, UPS, Scanner and any other Computer peripherals specified in Appendix-A and board band/high speed internet connection;
   b) I am financially able to obtain credit limit for sale of e-stamps and to provide other related services;
   c) I have knowledge of computer operations;
   d) I am capable of providing services in both Hindi and English languages; and
   e) I have working knowledge of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and the Registration Act. 1908 (No. 16 of 1908) and rules made thereunder.

2. All information given by me is correct and I declare that I have carefully read the provisions of the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942 as well as terms and conditions of the license and I agree to abide by them.

Part - C

Fees payment details

(i) Amount

(ii) Date

(iii) Mode/Reference number of payment

Place.......................

Date....................... Name and Signature of the Applicant

Annexures-

1. Proof of Id - Aadhar card/Driving license/PAN card/other
2. Proof of address - Electricity bill/water bill/rent note
3. Proof of educational qualification - Higher secondary marksheet/ applicable document

Form-A-2

Application form for NewLicense/Renewal of license/ Duplicate license for Stamp Vendor/ Service Provider

Part - A

Passport Size Photo ofAuthorised Person Attested by himself

1. Name of Applicant Organization	:..
2. Nature of Organization i.e.Bank/ Financial Institution/Post office/Company/Board/Corporation	....
3. Name & address of owner/CEO/MD of Organization	
4. CIN/ GSTN/ PAN number	:..
5. Extent of amount, which the applicant can invest in purchasing stamps/ credit limit	:..
6. Official address of the organization-	City/Town .... Tehsil .... District ....
7. Office of Sub- Registrar nearest to place of Work	:..
8. Contact details of applicants organization (i) Telephone number (ii) E-Mail ID	:..
9 Details of person authorized to submit application by applicant organization (i) Name (ii) Designation (iii) Reference No. and date of Authorization letter (iv) Aadhar number/PAN number Mobile number	....

Part - B

1. I here by declare that
   a) Our organization is financially able to obtain credit limit for sale of e-stamps and to provide other related services.
   b) Our organization has sufficient staff having computer knowledge and working knowledge of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and the Registration Act. 1908 (No. 16 of 1908) and rules made thereunder.
   c) Our organization is capable of providing services in both Hindi and English language and possesses computer system.
2. All information given by me is correct and I declare that I have carefully read the provisions of the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942 as well as terms and conditions of the license and I agree to abide by them.

Part - C

Fees payment details

1. Amount
2. Date
3. Mode/Reference number of payment

Place........................

Date........................

Name and Signature of
Authorized person on behalf
of
Applicant Organization

Annexures-

1. Company Registration certificate/ PAN Card of applicant/ GSTN no. of applicant
2. Authority letter for authorized person
3. Authorised person's ID proof - Aadhar card/Driving license/PAN card/other

Form-B

Form of license

(To sell/issue stamps under the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942)

Passport Size Photo Attested by Licensee himself

1. Name and address of licensee. ....
2. Type of license (Stamp Vendor/Service provider) ....
3. Period for which license is valid From..............................to..............................
4. License Number :..
5. Address of place of business, where the licensee shall carry on the business :Place................ City/Town.....................Tahsil........................ District ....

Place ....

Date ....

Signature

Name & Seal of the licensing authority

TERMS AND CONDITIONS

1. The Licensee shall comply with directions that may be given by Licensing Authority from time to time.
2. All dues of Government, any sum of discount paid to the license in excess, any fine imposed under these rules, and other sum, if any, shall be recovered from the deposit or from movable or immovable property of the licensee, as arrears of land revenue.
3. This license entitles the licensee to carry on the business subject to the previsions of the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942 and the conditions of the license.
4. The sale/issuance of stamps under this license shall be carried on only by the holder of the license
5. The infringement of any of the Stamp Rules shall render the holder liable to penalty prescribed in the Indian Act, 1899 and the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942. .
6. The Violation of any of the rules or condition of license shall render the irregularity of the licence shall render the license liable to cancellation and

also imposition of a fine under the said Act, and the rules.

Place ....

Date ....

Signature

Name & Seal of the licensing authority

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.